

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- गोपाल लाला मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 25/2016

तारीख दायरा-11.02.2016

तारीख निर्णय-05.07.2016

1. श्रीमती मोतकी बाई पुत्री तेजसिंह राजपूत निवासी घणावल पत्नी चमनसिंह राजपूत निवासी पाबो की भागल ओडा तहसील कुम्भलगढ।
2. श्रीमती मोहनीबाई पुत्री तेजसिंह राजपूत निवासी घणावल पत्नी पनसिंह राजपूत निवासी ओडा तहसील कुम्भलगढ।
3. श्रीमती गणेशीबाई पत्नी तेजसिंह राजपूत निवासी घणावल तहसील गोगुन्दा।

.....वादीगण

## बनाम

1. श्री कालुसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी घणावल तहसील गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से- प्रतिवादी स्वयं

## निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा घणावल पटवार क्षेत्र पलासमा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 324 एवं मौजा ओडवाडिया पटवार क्षेत्र पलासमा की जमाबन्दी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 5, 6, 81, 88, 110 में वर्णित आराजियात स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी की मौरूसी सम्पति होकर वादीगण एवं प्रतिवादी का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजियात पूर्व में वादी संख्या 1 व 2 के पिता, 3 के पति व प्रतिवादी के पिता स्व. श्री तेजसिंह के खातेदारी में दर्ज थी। स्व. श्री तेजसिंह के फोट होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया गया, उसमें वादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज होने से रह गया व कुछ खातों में वादी संख्या 3 का नाम भी दर्ज होने से रह गया, जबकि

उप खण्ड अधिकारी  
गोगुन्दा जिला, उदयपुर

वादीगण स्व. तेजसिंह के जायन्दा वारिसान होने व भूमि मौरूसी सम्पति होने वादीगण का भी उक्त भूमि हक व हिस्सा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी के साथ वादीगण का नाम भी जोड़े जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रकरण दिनांक 05.07.2016 को राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" शिविर सायरा में पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत शिविर में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद माफिक प्रार्थना स्वीकार किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ती नहीं है। अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं मौजा घणावल की जमाबन्दी संवत् 2068 से 71 के खाता संख्या 22 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/9, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/12 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 7/36, खाता संख्या 23 में कालुसिंह पिता तेजसिंह, 2/27, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/18 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 7/54, खाता संख्या 24 में कालुसिंह पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह, खाता संख्या 25 में कालुसिंह पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/2 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/2, खाता संख्या 26 में कालुसिंह पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/3 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/3, खाता संख्या 27 में कालुसिंह पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/3 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/3, खाता संख्या 28 में कालुसिंह पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/4 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/4, खाता संख्या 29 कालुसिंह पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/6 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/6, खाता संख्या 145 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/27 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/27, खाता संख्या 147 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/24, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/72 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 4/72, खाता संख्या 149 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/72 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/72, खाता संख्या 150 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/9 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/9, खाता संख्या 151

उप खण्ड अधिकारी  
गोगुन्दा, जिला, उदयपुर

में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/18 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/18, खाता संख्या 152 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 2/27, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/18 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 7/54, खाता संख्या 153 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/18, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/24 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 7/72, खाता संख्या 354 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/4 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/4 दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार मौजा ओडवाडिया पटवार क्षेत्र पलासमा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2068 से 71 के खाता संख्या 5 में कालुसिंह पिता तेजसिंह, मु. गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/3 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/3, खाता संख्या 6 में कालुसिंह पिता तेजसिंह, मु. गणेशीबाई बेवा तेजसिंह के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह, खाता संख्या 81 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/18 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/18, खाता संख्या 88 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 1/72, मु. गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 1/96 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 7/288, खाता संख्या 110 में कालुसिंह पिता तेजसिंह 17/576, मु. गणेशी बाई बेवा तेजसिंह 11/576 के बजाय कालुसिंह, मोतकीबाई, मोहनीबाई पिता तेजसिंह, गणेशीबाई बेवा तेजसिंह 28/576 दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल मीना)

उपस्थान्त अधिकारी  
गोगुन्दा तहसील उदयपुर